11-11-21

अतिरिक्त अधिवक्ता व GA
उपस्थित। अतिरिक्त अधिवक्ता
द्वारा कथन किया गया कि
प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की
मौके से बाद का निस्तारण
हो चुका है अतः प्रकरण अपील
हो चुका है कि चकबन्दी के आदेश
के विरुद्ध दायर की गई है, निष्प्रभावी
हो चुकी है।

प्रकरण में पत्रावली के साथ
संलग्न अन्तर्गत न्यायालय की
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
चूंकि वादग्रस्त भूमि की मौके से
वाद का निस्तारण हो चुका है अतः
उपरोक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी
है अतः अपील अपीलार्थी
निष्प्रभावी घोषित की जाती है
पत्रावली निस्तारित की जाकर
तालिका से विलोपित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 16:29:54 IST
Reason: SelfAttested